

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-11/फिजियो०(विविध)-01/2015 - 1033 (11) / पटना, दिनांक-15.10.18

बिहार फिजियोथेरापिस्ट एवं अकुपेशनल थेरापिस्ट परिषद् नियमावली, 2018 के प्रारूप की विस्तृत समीक्षा एवं मंतव्य हेतु स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक-466(11), दिनांक-06.07.2017 एवं पत्रांक-852(11), दिनांक-04.12.2017 से गठित समिति को निम्ननांकित रूप से पूर्णगठित किया जाता है:-

1. डा० आर०डी० रंजन, निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण), बिहार, पटना -अध्यक्ष
2. डा० अजित कुमार वर्मा, प्राचार्य, पी०एम०सी०, पटना -सदस्य
3. डा० सीता राम प्रसाद, प्राचार्य, एन०एम०सी०, पटना -सदस्य
4. श्री किशोर कुमार, विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्री पदाधिकारी, बी०सी०पी०ओ०, पटना -सदस्य
5. श्री बी०के० सिंह, विभागाध्यक्ष, (फिजियोथेरापी), बी०सी०पी०ओ०, पटना -सदस्य
6. श्री प्रमोद कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11 स्वा० वि०, बिहार, पटना -संयोजक

इस पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

15/10/18

(राधेश्याम साह)

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-11/फिजियो०(विविध)-01/2015-1033(11)/स्वा०, पटना, दिनांक-15.10.18

प्रतिलिपि- डा० आर०डी० रंजन, निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण), बिहार, पटना / डा० अजित कुमार वर्मा, प्राचार्य, पी०एम०सी०, पटना, / डा० सीता राम प्रसाद, प्राचार्य, एन०एम०सी०, पटना / श्री किशोर कुमार, विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्री पदाधिकारी, बी०सी०पी०ओ० / श्री बी०के० सिंह, विभागाध्यक्ष, (फिजियोथेरापी), बी०सी०पी०ओ० / श्री प्रमोद कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/18

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।